

- 151 संस्था वैश्विक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजस्वीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

१. विद्यालय प्रमुख, मुक्त
मुक्त विद्यालय

पृ०संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **लखनऊ ।**
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **लखनऊ ।**
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबंधक, **वि आर०जी० कर्मचारी एवं शिक्षण, लखनऊ ।**
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा है,

१. विद्यालय प्रमुख, मुक्त
मुक्त विद्यालय

6